



Neutral Citation No. - 2026:AHC:125305

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या- 19627 वर्ष 2026

हँशल उर्फ हर्ष एवं 3 अन्य

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : सत्य नारायण यादव

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 34

माननीय न्यायमूर्ति चवन प्रकाश

1. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के तहत यह आवेदन आवेदकों द्वारा निम्नलिखित प्रार्थना के साथ दायर किया गया है:

"अतः, अत्यंत आदरपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय कृपापूर्वक इस आवेदन को स्वीकार करने और थाना जसवंत नगर, जिला इटावा से संबंधित वाद अपराध संख्या- 129 वर्ष 2025 से उद्भूत आपराधिक मामला संख्या- 30254 वर्ष 2025 (राज्य बनाम हँशल उर्फ हर्ष एवं अन्य) अन्तर्गत धारा 115(2), 352, 351(3) बी.एन.एस., जो विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या- 2, इटावा के न्यायालय में लंबित है, में आरोप पत्र दिनांक

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



25.05.2025 के साथ-साथ आक्षेपित संज्ञान आदेश दिनांक 30.10.2025 व संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने की कृपा करे।"

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक निर्दोष हैं और उन्हें वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक संख्या 1 से 3 छात्र हैं और आवेदक संख्या 4 को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उरई, जालौन के शाखा प्रबंधक हैं। विपक्षी संख्या- 2 ने झूठे और निराधार आरोपों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि दिनांक 03.05.2025 को आवेदकों ने उनके साथ मारपीट की थी। विपक्षी संख्या- 2 का सी.एच.सी., जसवंत नगर, इटावा में चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। चिकित्सीय रिपोर्ट के अनुसार, चोटों की प्रकृति साधारण है। चिकित्सीय रिपोर्ट प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों का समर्थन नहीं करती है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि माता प्रसाद, राज नारायण, सागर सिंह और अन्य स्वतंत्र गवाहों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इटावा को शपथपत्र देकर कहा है कि घटना के समय आवेदक घटना स्थल पर उपस्थित नहीं थे, परंतु विवेचक ने विवेचना के दौरान उक्त शपथपत्रों पर विचार नहीं किया और विपक्षी संख्या- 2 व अन्य गवाहों के बयानों के आधार पर आवेदकों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल कर दिया तथा विद्वान मजिस्ट्रेट ने दिनांक 30.10.2025 को संज्ञान ले लिया, जबकि आवेदकों के विरुद्ध कोई प्रथम दृष्ट्या मामला नहीं बनता है, इसलिए समन/संज्ञान आदेश के साथ-साथ उपरोक्त मामले की संपूर्ण कार्यवाहियों को निरस्त किया जाए।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों, विपक्षी संख्या- 2 और गवाहों के बयानों तथा विवेचना के दौरान एकत्र की गई सामग्री के परिशीलन से, आवेदकों के विरुद्ध प्रथम दृष्ट्या अपराध स्पष्ट रूप से बनता है और इस प्रकार, संपूर्ण कार्यवाहियों को निरस्त नहीं किया जा सकता है।

5. इस मामले के तथ्यों के अनुसार, विपक्षी संख्या- 2 ने दिनांक 03.05.2025 की घटना के संबंध में थाना जसवंत नगर, जिला इटावा में आवेदकों के विरुद्ध धारा 115(2), 352 और 351(3) बी.एन.एस. के तहत वाद अपराध संख्या- 129 वर्ष 2025 के रूप में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने उनके साथ मारपीट की। विपक्षी

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संख्या- 2 का चिकित्सीय परीक्षण सी.एच.सी., जसवंत नगर, इटावा में दिनांक 03.05.2025 को अपराह्न 1:16 बजे किया गया था। चिकित्सीय रिपोर्ट के अनुसार, चोटों की अवधि लगभग डेढ़ दिन पुरानी थी। विवेचक ने विपक्षी संख्या- 2 और अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए और विवेचना के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्यों के आधार पर आवेदकों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया तथा विद्वान मजिस्ट्रेट ने दिनांक 30.10.2025 को संज्ञान लिया।

6. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के परिशीलन से और इस चरण में मामले के तथ्यों को देखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदकों के विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनता है। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए सभी तर्क तथ्यों के विवादित प्रश्नों से संबंधित हैं, जिनका न्यायिक निर्धारण इस न्यायालय द्वारा धारा 528 बी.एन.एस.एस. के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में नहीं किया जा सकता है। इस चरण में केवल प्रथम दृष्ट्या मामला ही देखा जाना है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आर.पी. कपूर बनाम पंजाब राज्य, ए.आई.आर. 1960 एस.सी. 866, हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल, 1992 एससीसी (क्रिमिनल) 426, बिहार राज्य बनाम पी.पी. शर्मा, 1992 एससीसी (क्रिमिनल) 192 और अंत में जेडू फार्मास्युटिकल वर्क्स लिमिटेड बनाम मोहम्मद शराफुल हक एवं अन्य (पैराग्राफ-10), 2005 एससीसी (क्रिमिनल) 283 के मामलों में प्रतिपादित कानून के आलोक में स्पष्ट है। अभियुक्तों के विवादित बचाव पर इस चरण में विचार नहीं किया जा सकता है।

7. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मुझे उपरोक्त मामले को निरस्त करने का कोई आधार नहीं मिलता है, इसलिए इसे निरस्त करने की प्रार्थना को एतद्वारा अस्वीकार किया जाता है।

8. तदनुसार, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के तहत दाखिल यह आवेदन **खारिज** किया जाता है।

(माननीय न्यायमूर्ति चवन प्रकाश)

4 जून, 2026

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।